

सहायक कलक्टर माण्डल

72
23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण को सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे श्रावण में गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवर्णें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर निठयि पृथक से लिखा जाकर श्रावण पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश १ फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व साक्षी
आवकाम को
हुदम की तारीख
में जारी

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 06/23 प्राणपत्र

श्री अज्ञात प्ल0 गहराम रेग्म निवासी- मेखियारा तहसील-मांडल

-प्रार्थी

धनाम

श्री अज्ञात देवी प्ल0 श्री गंजीलाल बनई निवासी- मेखियारा तहसील-मांडल [नगरी]
(धुवछिन्न प्राणपत्र राकम)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 07-02-23

::आदेश::

आदेश से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन नाम मेखियारा पटवार, हल्का खानडी तहसील माण्डल में उसके आराजी नं 201/1 कुल विस्त 01 रकबा 0-6/79 पर है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदागिया के सीमा किन्ह नहीं होने से आये लक्षणे विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की भूमि की क आदेश प्रदान कराये जाय।

ना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-01-23 को पजीकद किया जाकर प्रकरण को से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का। ऐसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर नाम मेखियारा पटवार खानडी तहसील माण्डल में उसके खाते/सयुक्त खाते की आराजी नं 201/1 01 रकबा 0-6/79 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा ली पुख्ता जानकारी एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख मेजा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने की भीजूदगी में मौकों व कब्जे को यथार्थिती को बनाये रखते हुए मुस्तकील दिन्दु को आधार गढी की जाय। फसल खडी जान पर पत्थरगढी नहीं की जाय।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को नजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार जाकर न्यायना सिगेट 07 दिनांक में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा